BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 अक्टूबर 2024 **थाना अहार**

अंकित की हत्या का सफल अनावरण, हत्यारोपी आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 15-10-2024 को कन्छिद पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद तहारपुर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अहार पर सूचना दी गई कि उसके पुत्र अंकित को अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 09.10.2024 की रात्रि में धोखे से बुलाकर तेज धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया तथा मोटरसाइकल में आग लगा दी जिससे अंकित की इलाज के दौरान दिल्ली में दिनांक 14.10.2024 को मृत्यु हो गयी। उपरोक्त के संबंध में थाना अहार पर मुअसं- 122/24 धारा 3(5) /103(1) /191(2) /191(3) /326(f) /333 / 351(2) बीएनएस बनाम 1. भागव सिंह पुत्र हीरा सिंह, 2. पप्पू पुत्र भाव सिंह, 3. बंटी पुत्र अशोक, 4. किरनपाल पुत्र वीरा, 5. जुगेन्द्री उर्फ राजेन्द्री पुत्री भाव सिंह निवासीगण ग्राम व थाना अहार जनपद बुलन्दशहर व 6. भाव सिंह का भांजा निवासी नरौरा जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के क्रम में थाना अहार पुलिस द्वारा जांच/छानबीन में उपरोक्त सभी अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी तथा घटना में राहुल पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 17-10-2024 को थाना अहार पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल की निशादेही से आलाकत्ल डंडा, ईट का टुकडा व मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राहुल पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 डंडा व ईट का टुकडा (आलाकत्ल)

2- मृतक का मोबाइल फोन

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मृतक अंकित उसकी बुआ की लड़की को भगाना चाहता था लेकिन बुआ की लड़की आना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर अंकित उसके साथ गाली गलौच करता था। दिनांक 09.10.2024 की रात्रि में वे दोनों आवारा जानवरों से अपनी फसल की रखवाली के लिये गये थे, वही पर इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया जिससे उसने डंडे से वार कर अंकित को घायल कर दिया तथा मोटरसाइकल से पैट्रोल निकालकर अंकित व मोटरसाइकल पर डालकर आग लगा दी तथा वहां से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं- 14/23 धारा 376डीए/504/506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-122/24 धारा3(5)/103(1)/191(2)/191(3)/326(f)/333/351(2) बीएनएस थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री यंग बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अहार
2. व0उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0/यू0टी0 मनीष यादव
3. है0का0 सनोज कुमार, का0 मयंक त्यागी,
   का0 गुलाब सिंह, का0 विपिन कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर